

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 53 सन 2020

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
2. नरसीराम पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
2. वीरराम पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
3. शंकरलाल पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
4. हरीराम पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 24 की कुल 0.4430हैक व खाता संख्या 45 की कुल 4.1630हैक व रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 61 की कुल 0.5970हैक व खाता संख्या 24 की कुल 0.7330हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम से मुश्तरका खाते में भूमि दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण सयुक्त खाते में दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो एक ही परिवार के सदस्य हैं काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मुश्तरका खातेदार काश्तकार हैं जिन्होंने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्डाधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 24 की कुल 0.4430 हैक् व खाता संख्या 45 की कुल 4.1630 हैक् व रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 61 की कुल 0.5970 हैक् व खाता संख्या 24 की कुल 0.7330 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम से मुश्तरका खाते में भूमि दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खाते में दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादीगण जो एक ही परिवार के सदस्य हैं काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्ली फरमाया जावे।


पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पेतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 24 की कुल 0.4430 हैक् व खाता संख्या 45 की कुल 4.1630 हैक् व रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 61 की कुल 0.5970 हैक् व खाता संख्या 24 की कुल 0.7330 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने काश्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्ली है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्ली किया जाकर घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 24 की कुल 0.4430 हैक् व खाता संख्या 45 की कुल 4.1630 हैक् व रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 61 की कुल 0.5970 हैक् व खाता संख्या 24 की कुल 0.7330 हैक् मुश्तरका खाते में दर्ज है में वादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 337/440(60) किला न0 5/2/2 की 0.177 हैक्, प0न0 336/449 (39) के किला न0 14/2 की 0.1265 हैक् 15/2 की 0.114 हैक् प0न0 336/438(37) के किला न0 5/1 की 0.051 हैक्, 5/2 की 0.202 हैक् प0न0 337/440(60) किला न0. 1 ता 3/0.202 हैक् भूमि रहेगी वादी संख्या 2 के पास


उपजुड अधिकारी
बोहर

रोही मौजा चक 26 डीपीएन के प0न0 333/439(4) के किला न0 13/1 की 0.1260हैव 13/2 की 0.1010हैव ,14/0.2530 ,15/.2530 ,प0न0 331/440(11) किला न0 25/3 की 0.310हैव प0न0 331/441(20) के किला न0 5/1 की 0.500हैव गैमु रास्ता व 5/2 की 0.200हैव नहरी भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 337/438(37) के किला न0 6/1 की 0.0250हैव गै0मु0 खाला 6/2 की 0.228हैव 15/1 की 0.0250 ,15/2 की 0.228हैव प0न0 336/439(56) के किला न0 13/0.2530 ,14/1 की 0.12650हैव 18/0.0650हैव व 0.025हैव गै.मु.खाला , 23/0.068हैव भूमि रहेगी । प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 336/439(56) के किला न0 5/0.202 ,6/.228 ,प0न0 336/438(37) किला न0 24/0.097हैव 25/0.228 ,प0न0 336/439(36) किला न0 15/1 की 0.114हैव भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 337/439(55) के किला न0 25/0.2530 ,प0न0 336/439(56) के किला न0 16/0.202 , 0.025हैव गै.मु. खाला , 17/0.228 रु 0.025हैव गै. मु.खाला प0न0 337/440(60) के किला न0 5/2/1 की 0.01265हैव अगुणी साईड व प0न0 337/438(38) के किला न0 21/0.241हैव 0.012हैव गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 26 डीपीएन के प0न0 332/441(21) के किला न0 10/0.2530 ,एवं रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 336/439(56) के किला न0 4/0.228 ,7/.253 ,14/1 की 0.1265हैव भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
2. नरसीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
2. वीरराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
3. शंकरलाल पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
4. हरीराम पुत्र सुखराम जाति मेघवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 53 सन 2020 निर्णय दिनांक-01/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 24 की कुल 0.4430 हैक व खाता संख्या 45 की कुल 4.1630 हैक व रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 61 की कुल 0.5970 हैक व खाता संख्या 24 की कुल 0.7330 हैक मुश्तरका खाते में दर्ज है में वादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 337/440(60) किला न0 5/2/2 की 0.177 हैक, प0न0 336/449 (39) के किला न0 14/2 की 0.1265 हैक 15/2 की 0.114 हैक प0न0 336/438(37) के किला न0 5/1 की 0.051 हैक, 5/2 की 0.202 हैक प0न0 337/440(60) किला न0. 1 ता 3/0.202 हैक भूमि रहेगी वादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 26 डीपीएन के प0न0 333/439(4) के किला न0 13/1 की 0.1260 हैक 13/2 की 0.1010 हैक, 14/0.2530, 15/2530, प0न0 331/440(11) किला न0 25/3 की 0.310 हैक प0न0 331/441(20) के किला न0 5/1 की 0.500 हैक गैमु रास्ता व 5/2 की 0.200 हैक नहरी भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 337/438(37) के किला न0 6/1 की 0.0250 हैक गै0मु0 खाला 6/2 की 0.228 हैक 15/1 की 0.0250, 15/2 की 0.228 हैक प0न0 336/439(56) के किला न0 13/0.2530, 14/1 की 0.12650 हैक 18/0.0650 हैक व 0.025 हैक गै.मु.खाला, 23/0.068 हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 336/439(56) के किला न0 5/0.202, 6/0.228, प0न0 336/438(37) किला न0 24/0.097 हैक 25/0.228, प0न0 336/439(36) किला न0 15/1 की 0.114 हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 337/439(55) के किला न0 25/0.2530, प0न0 336/439(56) के किला न0 16/0.202, 0.025 हैक गै.मु. खाला, 17/0.228 व 0.025 हैक गै.मु.खाला प0न0 337/440(60) के किला न0 5/2/1 की 0.01265 हैक अगुण साईड व प0न0 337/438(38) के किला न0 21/0.241 हैक 0.012 हैक गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 26 डीपीएन के प0न0 332/441(21) के किला न0 10/0.2530 एवं रोही मौजा चक 25 डीपीएन के प0न0 336/439(56) के किला न0 4/0.228, 7/0.253, 14/1 की 0.1265 हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
2. नरसीराम पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
2. वीरुराम पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
3. शंकरलाल पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
4. हरीराम पुत्र सुखराम जाति मेधवाल निवासी सोतीबडी तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 53 सन 2020 निर्णय दिनांक- 25/03/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुडा श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि पूर्व पर्चा डिक्री दिनांक 01.03.2021 में वादी संख्या 2 के पास प0न0 331/440(11) किला न0 25/3 की 0.310 अंकित है के स्थान पर 0.0310 संशोधित किया जाता है तथा किला न0 23 की 0.0630 हैक अंकित नहीं है को अंकित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते